संख्या-13/2016/1856/86-2016-293/2015

प्रेषक,

गेन्दन लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31 मई, 2016

विषय-जनपद अमेठी एवं इटावा में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-428/ए-38/2015-16, दिनांक 25.5.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1733/86-2016-293/2015, दिनांक 19.05.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के लेखाशीर्षक "4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्ववस्था के अन्तर्गत-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष जनपद अमेठी एवं इटावा में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु रू0 2,32,42,500.00 (रूपये दो करोड बत्तीस लाख बयालिस हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गयी है।

3; उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1733/86-2016-293/2015, दिनांक 19.05.2016 में उल्लिखित शर्तों के बिन्दु सख्ंया- 1, 2, 6 व 7 को विलोपित करते हुये क्रमश निम्नलिखित शर्तो द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है :-

(1) जिलाधिकारी अमेठी/इटावा द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता बनाये रखने की जिम्मेदारी, जिलाधिकारी अमेठी /इटावा की होगी तथा जिलाधिकारी अमेठी/इटावा यह सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(6) जिलाधिकारी अमेठी/इटावा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नही की गयी है तथा यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित तो नहीं है।

(7) प्रश्नगत हैण्डपम्पों के अधिष्ठापित किये जाते समय उनकी गुणवत्ता, निर्धारित मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं तथा हैण्डपम्पों की संख्या आदि सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी अमेठी/इटावा का होगा। हैण्डपम्पों की गुणवत्ता अधोमानक पाये जाने एवं उनकी निर्धारित संख्या से कम पाये जाने की दशा जिलाधिकारी अमेठी/इटावा तथा कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2. शासनादेश संख्या-1733/86-2016-293/2015, दिनांक 19.05.2016 में उल्लिखित शेष तथ्य/ शर्तें यथावत रहेगी। सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 19.05.2016 उक्त सीम तक संशोधित समझा जायें।

भवदीय,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- (1)/86-2016 तद्दिनांक -:</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदायी हेतु प्रेषित :-

(1) जिलाधिकारी, अमेठी/इटावा ।
(2) महालेखाकार लेखापरिक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
(6) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(7) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।